

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के बान से ही किया जावे व कि किसी अन्य प्रशिक्षिकारी के बान से।
उन्नीत विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संपर्क हो।



ग्राम : यूनिवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५२०४

दिनांक: १७/०८/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सिद्धि विवायक महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित श्री.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये आवश्यक कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निरनाचुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजार्थी एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442868)
- (2) प्रो. डी.सी. तिवारी, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुक्र, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राविकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, ग्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिलेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अवधि निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण स्वयं उत्तरस्थायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा औपाल को भेज दी जावेगी। यदि नहाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बहारी करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जावेगी और पुब्लिक निरीक्षण समिति को हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जावेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3mm ३
कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, औपाल
4. कुलसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

RKM
उप-कुलसंचिव (सम्बद्धता)